प्रेस विज्ञप्ति

11/08/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने 07.08.2025 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर विकास निगम लिमिटेड (एडीसीएल) से जुड़ी भूमि खरीद योजना में कर्नाटक भर में 6 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में बेंगलुरु स्थित एडीसीएल का मुख्यालय, बीजापुर जिला कार्यालय और आरोपियों/संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल थे। तलाशी के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेज़, संपत्तियों का विवरण और आरोपियों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली का पता चला।

ईडी ने कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की, जिसमें अपराध से प्राप्त आय 23 करोड़ रुपये से अधिक थी।

उक्त योजना (भूमि क्रय योजना) में भूमि स्वामियों से भूमि क्रय की जानी थी तथा उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात् उसे अनुसूचित जाति के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार की महिलाओं को वितरित किया जाना था। हालाँकि, विजयपुरा (पूर्व में बीजापुर) जिले में, न तो ज़मीन मालिकों से ज़मीन खरीदी गई और न ही लाभार्थियों को ज़मीन वितरित की गई। इस मामले में, एडीसीएल के ज़िला अधिकारियों ने अपने पदीय कर्तव्यों की उपेक्षा की और फ़र्ज़ी बिक्री दस्तावेज़ बनाकर करोड़ों रुपये की धनराशि विभिन्न फ़र्ज़ी खातों में जमा कर दी, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।

आगे की जाँच जारी है।